रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 200] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 29, 1983/वैशाख 9, 1905
No. 200] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 29, 1983/VAISAKHA 9, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
(स्टाक एक्सचेंज प्रभाग)
अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 1983

का.आ. 336(अ).—केन्द्रीय सरकार, लुधियाना स्टाक एक्सचेंज लिमिटेड लुधियाना द्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 3 के अंतर्गत मान्यता के लिए दिए गए आवेदन-पत्र पर विचार करने और इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि ऐसा करना व्यापार के हित में तथा लोक हित में भी होगा, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, उपर्युक्त एक्सचेंज को उपर्युक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन 29 अप्रैल, 1983 से आरम्भ होने वाली और 28 अप्रैल, 1988 को समाप्त होने वाली पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रतिभूतियों के संविदाओं के संबंध में ऐसी शर्तों के अधीन जो बाद में निर्धारित की जाएंगी या लागू की जाएंगी, मान्यता प्रदान करती है ।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(Stock of Exchange Division)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 29th April, 1983

S.O. 336(E).—The Central Government, having considered the application for recognition made under section 3 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), by the Ludhiana Stock Exchange Association Limited, Ludhiana, and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by section 4 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, recognition to the said exchange under section 4 of the said Act, for a period of five years commencing on the 29th April, 1983 and ending with the 28th April, 1988 in respect of contracts in securities subject to such conditions as may be prescribed or imposed hereafter.

का.आ. 337(अ).—चूंकि पंजाब राज्य में लुधियाना नगर निगम की सीमाओं के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में प्रतिभूतियों के लेन-देन के स्वरूप और उनकी मात्रा को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि ऐसा करना आवश्यक है ;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना द्वारा घोषणा करती है कि उपर्युक्त धारा 13 उपर्युक्त क्षेत्र पर लागू होगी ।

S.O. 337(E).—Whereas the Central Government is satisfied, having regard to the nature and volume of transactions in securities in the area covered by the limits of the Municipal Corporation of Ludhiana in the State of Punjab, that it is necessary so to do ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection 13 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Central Government hereby declares that the said section 13 shall apply to the said area.

का.आ. 338(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 19 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा 29 अप्रैल, 1983 को ऐसा दिनांक निर्धारित करती है जिस दिन से उपर्युक्त अधिनियम की धारा 19 पंजाब राज्य में लुधियाना नगर निगम की सीमाओं के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में लागू हो जाएंगी ।

[संख्या एफ. 1/5/एस.ई./79]

नीतीश सेनगुप्त, संयुक्त सचिव

S.O. 338(E).—In exercise of the powers conferred by subsection (2) of section 19 of the Securities Contracts Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Central Government hereby appoints the 29th day of April, 1983, as the date on which section 19 of the said Act shall come into force in the area covered by the limits of the Municipal Corporation of Ludhiana in the State of Punjab.

[No. F. 1/5/SE/79]

N. K. SENGUPTA, Joint Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983